भारत सरकार

पर्यटन मंत्रालय

लोक सभा

लिखित प्रश्न सं. 2434

सोमवार, 03 अगस्त, 2026/12 श्रावण, 1948 (शक)

को दिया जाने वाला उत्तर

कतर्नियाघाट वन्यजीव अभयारण्य क्षेत्र में होम-स्टे पर्यटन को बढ़ावा देना

2434. डॉ. आनन्द कुमार गौंडः

क्या **पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) उत्तर प्रदेश के कतर्नियाघाट वन्यजीव अभयारण्य क्षेत्र में वर्तमान में पंजीकृत और कार्यरत होम-स्टे की संख्या कितनी है और पिछले तीन वर्षों में स्थापित नए होम-स्टे का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार सहमत है कि उक्त क्षेत्र में होम-स्टे पर्यटन को बढ़ावा देने से ग्रामीण अर्थव्यवस्था सुदृढ़ होगी, स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा होंगे और स्थानीय हस्तशिल्प संस्कृति और उत्पादों को बढ़ावा मिलेगा;

(ग) यदि हाँ, तो उक्त क्षेत्र में होम-स्टे स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता, कौशल प्रशिक्षण, विपणन, पंजीकरण और अन्य सुविधाएँ प्रदान करने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या सरकार बहराइच के कतर्नियाघाट क्षेत्र में होम-स्टे की संख्या बढ़ाने के लिए किसी विशेष योजना या कार्य योजना को लागू करने पर विचार कर रही है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

पर्यटन मंत्री (श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत)

(क): उत्तर प्रदेश में होम-स्टे को उत्तर प्रदेश सरकार की उत्तर प्रदेश बेड एंड ब्रेकफास्ट और होम-स्टे पॉलिसी, 2025 के तहत पंजीकृत/अनुमोदित किया जाता है। हालांकि, पर्यटन मंत्रालय के निधि+ पोर्टल पर उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, मंत्रालय की स्वैच्छिक योजना के तहत उत्तर प्रदेश में पंजीकृत और वर्गीकृत होम-स्टे की संख्या क्रमशः 1,921 और 76 है।

(ख) से (घ): जी हाँ। होम-स्टे जैसी आवास इकाइयों में वृद्धि से गंतव्य पर पर्यटकों की संख्या में वृद्धि होती है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों सहित अन्य स्थानों में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष

रूप से रोजगार के अवसर पैदा होते हैं। यह प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों, कृषि उत्पादों और हस्तशिल्प सहित अन्य स्थानीय उत्पादों जैसे अन्य विनिर्माण क्षेत्रों पर भी महत्वपूर्ण प्रभाव डालता है।

भारत सरकार ने उत्तर प्रदेश में बहराइच के कतर्नियाघाट क्षेत्र सहित देश भर में होम-स्टे स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता और प्रोत्साहन देने के लिए बजट घोषणा, 2025-26 में होम-स्टे के लिए मुद्रा ऋण के संपार्श्विक मुक्त संस्थागत ऋण की भी घोषणा की है। पर्यटन मंत्रालय ने जन समर्थ पोर्टल पर ऋण के लिए आवेदन करने के लिए एक चरण-दर-चरण मार्गदर्शिका के रूप में होम-स्टे के लिए मुद्रा ऋण संबंधी एक पुस्तिका भी जारी की है। इसी तरह इसके ऊपर क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा कार्यशालाएं भी आयोजित की गईं। मार्च-2026 तक, कुल 3,507 होम-स्टे ने मुद्रा ऋण के लिए आवेदन किया।

इसके अलावा, सरकार ने जनजातीय समुदायों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान को मंजूरी दी है और 1000 होम-स्टे का विकास योजना का एक हिस्सा है। जारी दिशानिर्देशों के अनुसार निर्धारित पात्रता के अध्यधीन, राज्य/संघ राज्यक्षेत्र 5-6 गांवों के समूह में प्रति गांव 5-10 होम-स्टे के लिए अधिकतम 5 करोड़ रुपये की सहायता प्राप्त कर सकते हैं।

पर्यटन मंत्रालय ने देश की विशाल पर्यटन क्षमता का भरपूर लाभ उठाने के लिए पर्यटन उद्योग के प्रत्येक स्तर पर जनशक्ति को उन्नत करने के लिए होम-स्टे मालिकों सहित पर्यटन सेवा प्रदाताओं और आतिथ्य क्षेत्र के लिए शिक्षा, प्रशिक्षण और प्रमाणन प्रदान करने और स्थानीय आबादी को पेशेवर विशेषज्ञता प्रदान करने के साथ-साथ शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में पर्यटन क्षेत्र में नए अवसर पैदा करने के लिए "सेवा प्रदाताओं के लिए क्षमता निर्माण" (सीबीएसपी) योजना लागू की है।

पर्यटन मंत्रालय अपनी अतुल्य भारत वेबसाइट के माध्यम से, देश भर में होम-स्टे जैसी विभिन्न पर्यटन संबंधी पेशकशों की डिजिटल पहुंच को बढ़ाता है, इसे एक-स्टॉप डिजिटल सूचना और सेवा मंच में परिवर्तित करता है, जो एक पर्यटक की आतिथ्य, यात्रा और पर्यटन संबंधी सभी जरूरतों को पूरा करता है।
